झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

राँची, दिनांक-29/06/2018

संख्या-5/आरोप-1-114/2017-897 (HRMS)/ श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा0प्र0से0 के विरुद्ध सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NAMITA NALINI BAXLA BHR/BAS/3581	ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित आरोपों से श्रीमती नमिता नलिनी बाखला को आरोप मुक्त किया जाता है।

विवरण:

श्रीमती नमिता नलिनी बाखला झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-776/03, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिशुनपुर, गढ़वा, के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध उच्च अधिकारियों के निदेशों की अवहेलना करने, मनरेगा अन्तर्गत ससमय मजदूरों का भुगतान नहीं करने तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-3(3) का उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय विभागीय पत्रांक-9851, दिनांक-18.09.2017 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक-11253, दिनांक-09.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

श्रीमती बाखला के आवेदन पत्र, दिनांक-20.11.2017 द्वारा सूचित किया गया कि इन्होंने विशुनपुरा प्रखण्ड में कभी भी प्रभार नहीं लिया है।

श्रीमती बाखला से प्राप्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-574, दिनांक-18.01.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)622, दिनांक-16.03.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अवधि में श्रीमती बाखला द्वारा प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया था।

श्रीमती बाखला के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके आवेदन पत्र एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य के समीक्षोपरांत श्रीमती नमिता नलिनी बाखला झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिशुनपुर, गढ़वा, सम्प्रति-निलंबित को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सूर्य प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502

ज्ञापांक-5/आरोप-1-114/2017-897 (HRMS)/राँची दिनांक-29/06/2018

नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, गढ़वा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा0प्र0से0, सम्प्रति-निलंबित, पता- द्वारा-श्री विजय प्रवीण बाखला, शान्तिनगर, ओल्ड हजारीबाग रोड, राँची, पिन-834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आरोप-1-114/2017-897 (HRMS)/राँची दिनांक-29/06/2018

विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Prepared By:- SHRI SATYAM BHARDWAJ - (110093431070)